बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा

[Email-irrigationdivisionbathnaha@gmail.com]

पत्रांक :– 802 / बथनाहा

दिनांक : 29 / 05 / 2026

बंदोबस्ती आमंत्रण सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है, कि इस प्रमंडलाधीन सिंचाई अवर प्रमंडल, श्रीनगर (पूर्णियाँ) अंतर्गत नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती किया जाना है जिसका विवरणी निम्नांकित है –

बंदोबस्ती का स्थान	बंदोबस्ती का प्रकार	बंदोबस्ती की तिथि एवं समय	अभ्युक्ति
सिंचाई अवर प्रमंडल, श्रीनगर (पूर्णियाँ)	कास घास/चाट भूमि	22.06.2026 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 अपराह्न तक	

आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर बंदोबस्ती को सफल बनावें।

बंदोबस्ती हेतु निम्नांकित शर्तें

1. बंदोबस्ती के लिये निम्नलिखित व्यक्ति सक्षम/पात्र होंगे जो बंदोबस्ती ग्राम क्षेत्र के तीन मील के परिधि के भीतर किया जाएगा।
2. भूमिहीन अनु० जाति/ अनु० जनजाति/अवकाश प्राप्त सैनिक/सैनिक की विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. किसी भी सक्षम/पात्र व्यक्ति/परिवार जो पूर्व में लॉटरी में भाग लिये है वे पुनः तुरंत बाद वाली बंदोबस्ती प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार नहीं होंगे।
4. बंदोबस्ती हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व नियत लगान का 10% राशि अग्रधन के रूप में बंदोबस्ती की तिथि से एक दिन पूर्व आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
5. सफल व्यक्ति को बंदोबस्ती की तिथि के अगले तीन दिनों के भीतर (अग्रधन सहित) कुल लगान की राशि का 50% तथा 50% राशि 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर उपरोक्त राशि जमा करने में असफल रहने पर अग्रधन की राशि सम्प्रहृत (जब्त) कर ली जाएगी।
6. लोकहित में बंदोबस्ती के बिना सूचना के रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा।